उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:140/2018/2198/छप्पन-2018-06/2013
लखनऊ, दिनांक: 17 दिसम्बर, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, लखनऊ में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2117/छप्पन-12-35/2010, दिनांक 03 जनवरी, 2013 द्वारा श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी को व्याख्याता (विद्युत) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रुपए 31,000/- पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष में श्री सिद्दीकी द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2013 के पूर्वाहन में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया। तदुपरांत वर्षानुवर्ष इनकी संविदा अवधि बढ़ाई गई है। श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, व्याख्याता (विद्युत) की सेवाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या-96/2017/1802/छप्पन- 2017-06/2013, दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 द्वारा उनकी संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी 2018 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात 06 जनवरी 2019 तक) के लिए शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक पर बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा सेवा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2019 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात 06 जनवरी, 2020 तक) के लिए बढ़ाये जाने की संस्तुति की गयी है।

2- निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ के प्रस्ताव दिनांक 02 नवम्बर, 2018 पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, व्याख्याता (विद्युत) के पद पर कार्यरत श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की संविदा अवधि दिनांक 07 जनवरी, 2019 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात 06 जनवरी, 2020 तक) के लिए वर्तमान में नियत मासिक पारिश्रमिक रु0 60,969/- (रूपए साठ हज़ार नौ सौ उनहत्तर मात्र) एवं अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि (यथा समय) पर बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी की सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी,
व्याख्याता (विद्युत) संविदा
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,उ0प्र0,
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 140/2018/2198(1)/छप्पन-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री मोहम्मद अहमद सिद्दीकी से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।